

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 5484

14 10 2024

विषय: IS 5484 : 2023) सतत् ढलाई और रोलिंग द्वारा उत्पादित ई सी ग्रेड एल्यूमीनियम छड़ — विशिष्टि) में संशोधन संख्या 1 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 5484 : 2023 में संशोधन संख्या 1 प्रकाशित हो चुकी है । IS 5484 : 2023 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की अंतिम तिथि **22 मार्च 2025** है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 5484 : 2023 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **22 मार्च 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(शिवम अहूजा) वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 5484 14 10 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 1 to Indian Standard 5484: 2023 (EC Grade Aluminium Rod Produced by Continuous Casting and Rolling—Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 1 to IS 5484: 2023 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 1 to IS 5484: 2023 is **22 March 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **22 March 2025**

(Shivam Ahuja) Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices